भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 3 * दि. 1 से 15 जुलाई 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

मुंबई को जाम से मिलेगी राहत!

17 हजार करोड़ के भायंदर घोडबंदर मेगा कॉरिडोर को मंजूरी

मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और उत्तर-दक्षिण संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 17,036.03 करोड़ रुपए की लागत वाली भायंदर-घोडबंदर कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत भायंदर से फाउंटेन होटल जंक्शन तक एलिवेटेड क्रीक ब्रिज और फाउंटेन होटल जंक्शन से गायमुख तक ट्विन-ट्यूब भूमिगत सुरंग का निर्माण किया जाएगा।

कुल 15.44 Km लंबी इस परियोजना का क्रियान्वयन MMRDA द्वारा PPP के तहत बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर किया जाएगा। कैबिनेट अवसंरचना समिति की मंजूरी के बाद शहरी विकास विभाग ने 22 जून को इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव जारी किया।

सुगम बनेगी क्षेत्र की यातायात

परियोजना में 9.58 Km लंबा छह लेन का एलिवेटेड क्रीक ब्रिज और 5.86 किलोमीटर लंबी ट्विन-ट्यूब सुरंग शामिल है। सुरंग की प्रत्येक दिशा में तीन-तीन लेन होंगी। इस कॉरिडोर का उद्देश्य वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बढ़ती भीड़भाड़ को कम करना तथा मुंबई, मीरा-भायंदर और ठाणे क्षेत्र के बीच यातायात को सुगम बनाना है।

पिछली निविदा प्रक्रिया रद्द होने के दो वर्ष बाद मिली मंजूरी

यह मंजूरी पिछली निविदा प्रक्रिया रद्द होने के लगभग दो वर्ष बाद मिली है। लार्सन एंड टुब्रो ने निविदा रद्द किए जाने के निर्णय को बॉम्बे हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन दोनों अदालतों ने MMRDA के निर्णय को बरकरार रखा। बताया जाता है कि एल एंड टी द्वारा अपेक्षाकृत कम वित्तीय बोली लगाने के बाद MMRDA ने उससे बोली का समर्थन करने वाले दस्तावेज मांगे थे, जो उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके बाद निविदा रद्द कर नई प्रक्रिया शुरू की गई थी।

केंद्र और राज्य सरकार करेंगें 20-20% योगदान

परियोजना को 40 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर निधि प्राप्त होगी, जिसमें केंद्र और महाराष्ट्र सरकार 20-20 प्रतिशत योगदान देंगी। शेष राशि निजी निवेश और कर्ज के माध्यम से जुटाई जाएगी। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 713.94 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने अपने वीजीएफ हिस्से के रूप में लगभग 3,407 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए MMRDA को अधिकृत किया है।

मीरा-भायंदर में 254.88 एकड़ ज़मीन पर बॉम्बे HC के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा

सन संवाददाता

मीरा-भायंदर । महाराष्ट्र सरकार मीरा-भायंदर में लगभग 254.88 एकड़ प्राइम ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल को अपने फ़ैसले में, लंबे समय से चल रहे ज़मीन के मालिकाना हक के विवाद में प्राइवेट कंपनियों – द एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी और मीरा रियल एस्टेट डेवलपर्स – के पक्ष में फ़ैसला सुनाया था।

इस फ़ैसले को अचानक बताया गया, रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने ज़मीन पर अपना दावा मज़बूती से पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) फ़ाइल करने का फ़ैसला किया है, जिसके बारे में उसका कहना है कि यह ज़मीन राज्य सरकार की है।

सरकार के मुताबिक, 1948 से बिना पहले से मंज़ूरी के भायंदर इलाके में मौजूद ज़मीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में कथित तौर पर बदलाव किए गए, जिसके बाद एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी और बाद में मीरा साल्ट वर्क्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के नाम ऑफ़िशियल रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। बाद में यह झगड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने पार्टियों को ठाणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाने को कहा। 2002 में, कलेक्टर

ने मीरा साल्ट वर्क्स का दावा खारिज कर दिया और आदेश दिया कि पूरी ज़मीन सरकार की हो।

हालांकि, कंपनियों और साल्ट कमिश्नर ने 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने साल्ट कमिश्नर की अपील खारिज कर दी, लेकिन माना कि ज़मीन मीरा साल्ट वर्क्स की है।

मिस्टर बावनकुले ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड, 1966 के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि ज़मीन कानूनी तौर पर राज्य सरकार की है और कहा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरफेर करके सरकारी ज़मीन हड़पने की कोशिशों का कड़ा विरोध किया जाएगा।

MBMC vs MBVV: 5.21 करोड़ सुरक्षा शुल्क पर टकराव, मनपा ने पुलिस से मांगा बकाया किराया

मीरा- भाईंदर मनपा (एमबीएमसी) और मीरा- भाईंदर, वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्तालय के बीच करोड़ों रुपये के बकाया किराए और पुलिस सुरक्षा शुल्क को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। मनपा ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई, चुनाव और अन्य मनपा कार्यों के दौरान पुलिस सुरक्षा के नाम पर मांगे गए 5 करोड़ 20 लाख 66 हजार 911 रुपये का भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग से मनपा की संपत्तियों का बकाया किराया तत्काल जमा कराने की मांग की गई है।

सुरक्षा देना पुलिस का कानूनी दायित्व, शुल्क नहीं देगी मनपा

मनपा ने पत्र में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 483 का हवाला देते हुए कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा मनपा की वैधानिक कार्रवाई के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराना पुलिस विभाग का कानूनी दायित्व है। उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुसार अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई के समय स्थानीय पुलिस को तत्काल और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है, इसलिए पुलिस सुरक्षा के लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं है।

किराए से समायोजन का प्रस्ताव किया खारिज

मनपा ने पुलिस मुख्यालय, पुलिस उपायुक्त कार्यालय, काशीगांव और नयानगर पुलिस स्टेशन तथा यातायात

शाखा के लिए अपनी इमारतें और भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराई है। पुलिस आयुक्तालय ने अक्टूबर 2020 से फरवरी 2026 तक की अवधि के लिए सुरक्षा व्यवस्था के एवज में 5.21 करोड़ रुपये की मांग करते हुए इसे देय किराए से समायोजित करने का अनुरोध किया था। मनपा प्रशासन ने इस प्रस्ताव को कानूनी आधार पर अस्वीकार कर दिया।

पुलिस पर करोड़ों रुपये का किराया बकाया

मनपा प्रशासन के अनुसार, मीरा रोड स्थित यातायात शाखा के लिए आरक्षित भूखंडों का 6 करोड़ 96 हजार 7 रुपये किराया अब तक अदा नहीं किया गया है। वहीं पुलिस आयुक्त कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय, काशीगांव और नयानगर पुलिस स्टेशन का कुल किराया 7 करोड़ 24 लाख 94 हजार 727 रुपये है।

इसमें से पुलिस विभाग 3 करोड़ 89 लाख 58 हजार 456 रुपये का भुगतान कर चुका है, जबकि 3 करोड़ 35 लाख

36 हजार 271 रुपये अभी भी बकाया हैं। मार्च तक के समायोजन के बाद भी 1 करोड़ 85 लाख 30 हजार 640 रुपये की राशि शेष बताई गई है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को भेजा पत्र

मनपा प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को भेजे पत्र में बकाया किराया शीघ्र जमा कराने की मांग की है। वहीं पुलिस आयुक्तालय ने शेष राशि अपने कार्यालय के नाम जमा कराने का आग्रह किया है। करोड़ों रुपये के इस वित्तीय विवाद ने मनपा और पुलिस विभाग के बीच प्रशासनिक टकराव को नई चर्चा दे दी है।

संपादकीय

आस्था से छल

अयोध्या में राम मंदिर में भक्तों द्वारा दिए दान और कीमती सामान की हेराफेरी की घटनाओं ने देश-विदेश के रामभक्तों को विचलित किया है। कभी आमजन में कहा जाता था कि 'भगवान से डर', लेकिन पैसे की हवस देखिए कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े चंद लोगों ने भगवान के घर में चोरी करने में कोई डर महसूस नहीं किया। ये प्रबंधन व व्यवस्था की पारदर्शिता की खोट तो है ही, मानवीय मूल्यों के पतन की पराकाष्ठा भी है कि मंदिर में चढ़ावे की देखरेख को तैनात लोग ही चोरी-चकारी में लिप्त हो जाएं। इस मामले में विपक्ष के तीखे हमले और जनाक्रोश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए आनन-फानन में एसआईटी गठित की, रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी, प्राथमिकी दर्ज की और वीरवार को प्रबंधन से जुड़े आठ कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन अपने आराध्य राम के चढ़ावे की चोरी से आहत भक्तों के जख्मों पर शायद तभी मरहम लगेगी, जब दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। निश्चित ही यह चोरी का प्रकरण भाजपा व संघ को परेशान करने वाला है। उस राजनीतिक दल के लिये, जिसके कभी दो सांसद हुआ करते थे और राम मंदिर की मुहिम से हासिल जनसमर्थन से केंद्र व तमाम राज्यों में उसकी सरकारें बनी हैं। खासकर, भाजपा के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब हो सकता है क्योंकि राम जन्म भूमि वाले प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जिस मुद्दे को लेकर भाजपा राज्य की सत्ता में आती रही है, उस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर होगा। निस्संदेह, इस प्रकरण से राम भक्तों की आस्था को गहरी चोट तो पहुंची है। सवाल राम मंदिर ट्रस्ट की नाकामी पर भी उठेंगे कि उसने समय रहते इस चोरी को क्यों नहीं पकड़ा। बेहतर होता कि दोषियों के खिलाफ ट्रस्ट की तरफ से स्वतः प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जाती। सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों ट्रस्ट चंदे की रकम का हिसाब-किताब विश्वसनीय तरीके से नहीं रख पाया।

निश्चय ही इस प्रकरण से श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की साख भी दांव पर लगी है। वह उन भक्तों की भावनाओं की रक्षा नहीं कर पाया, जिन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर अब तक दिल खोलकर दान दिया। जब चंदा प्रबंधन से जुड़े लोगों के घर से लाखों की नकदी बरामद हुई और चोरी के पैसे से जमीन खरीदने के आरोप सामने आए तो भक्तों की आस्था पर आंच आना स्वाभाविक ही है। आरोप सिर्फ नकदी के हेरफेर के ही नहीं लगे बल्कि कीमती गहनों को खुर्दबुर्द करने के भी लगे। वहीं प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के दौरान दान में मिली चांदी की छड़ों के गायब होने का भी आरोप है। बहरहाल, 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले सामने आए इस विवाद ने प्रदेश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। विपक्ष जहां दोषियों पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा इन आरोपों को अयोध्या को बदनाम करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बता रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि जिन भक्तों ने मंदिर निर्माण के लिए पांच सौ साल तक इंतजार किया, उन्हें एसआईटी जांच अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। उनकी दलील है कि इस शर्मनाक मामले की तह तक जाने के लिये एक पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर होने वाली जांच बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल चंदे के रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने और स्वतंत्र ऑडिट की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों के दान और धार्मिक आस्था से जुड़े मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह प्रकरण देश के बड़े धार्मिक संस्थानों में चंदे के प्रबंधन में पारदर्शिता व सतर्कता की मांग करता है। चंदे का नियमित ऑडिट किया जाना, तकनीक आधारित प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग और स्वतंत्र निगरानी वाले आधुनिक सिस्टम की जरूरत को दर्शाता है। निस्संदेह, राम मंदिर भारत व विदेशों में बसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आकांक्षा का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का भरोसा बनाये रखने के लिये हर आक्षेप की पारदर्शिता से जांच जरूरी है।

संपूर्ण दवा सुरक्षा शृंखला को कीजिए मजबूत

अक्तूबर, 2025 में, मध्य प्रदेश के एक ज़िले में संदूषित कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की ख़बरों ने देश को झकझोर दिया था। अब, जून, 2026 में, भारत सरकार ने कुछ नियम बदले हैं और 'शेड्यूल के' से सभी सिरप को अनुमति सूची से हटा दिया है। 'शेड्यूल के' में गांवों या ऐसी जगहों पर, जहां पर आबादी एक हज़ार से कम है, गैर-फ़ार्मेसी दुकानों पर भी सिरप बिक्री को मंजूरी थी। अब पूरे देश में, दवा युक्त सिरप आम दुकानों पर नहीं रखी जा सकती और उनकी बिक्री डॉक्टर की पर्ची पर होना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी के बाद जांच हुई और कुछ नियामक पहल हुई। इस घटना की याद ने नीतिगत फ़ैसले को आकार दिया है। हालांकि, इसे मोटे तौर पर कफ सिरप की बिक्री के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य किए जाने के फ़ैसले के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि ज़्यादातर दवा युक्त कफ सिरपों में (हर्बल सिरप को छोड़कर) ऐसे तत्व होते हैं, जिनकी खरीद या बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता हमेशा से थी। मगर, पालन नहीं किया जाता था।

यह नीतिगत फ़ैसला स्पष्ट रूप से पर्ची की अनिवार्यता को सुदृढ़ करता है। सभी सिरपों में, भारत में सबसे अधिक गलत इस्तेमाल कफ़ सिरप का होता है। कई लोग बीमारी की सही शिनाख्त करवाए बिना खुद से इन्हें खरीद लेते हैं, छूत से लगी सर्दी-खांसी में इनका इस्तेमाल करते हैं जबकि इनसे फायदा बहुत कम होता है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बावजूद यह छोटे बच्चों को बार-बार खुराक दी जाती है। धारणा बना ली कि मीठा तरल नुकसानदायक प्रतीत नहीं होता। कुछ सिरप फार्मूलों में एंटीहिस्टामाइन, डिकंजेस्टेंट, सिडेटिव, ओपिओइड या अल्कोहल जैसे तत्व होते हैं, जो फ़ायदे के बजाय नुकसान अधिक पहुंचा सकते हैं। किशोरों और वयस्कों में भी कुछ किस्म के सिरप का गलत इस्तेमाल होता है। पर्ची की अनिवार्यता बनने से लोग आसानी से इन्हें नहीं खरीद पाएंगे, पहले डॉक्टर से मिलना ज़रूरी हो जाएगा।

फिर भी, यह कहानी का सिर्फ़ एक हिस्सा है। कई परेशान माता-पिता के लिए बच्चे की खांसी चिंताजनक हो जाती है, और डॉक्टर के पास जाने पर अगर सिरप न लिखा जाए तो उन्हें अक्सर लगता है कि इलाज अधूरा रह गया। मरीज़ अक्सर कफ सिरप लिखने की मांग करते हैं और अगर डॉक्टर मना कर दे, तो कुछ परिवार किसी दूसरे डॉक्टर का रुख करते हैं, जो इसे लिख दे। पुरानी पर्चियों को भी संभालकर रखा जाता है और मिलते-जुलते लक्षणों के लिए वही दवा दोबारा खरीदने में इस्तेमाल किये जाते हैं। ऐसे हालात में, नियमों में यह बदलाव गलत इस्तेमाल को कम कर सकता है, पर्ची की अनिवार्यता होने को मजबूत करता है और गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को बदल सकता है।

बेशक, यह बदलाव स्वागतयोग्य है, लेकिन काफ़ी नहीं है। मध्य प्रदेश की कफ सिरप त्रासदी मुख्य रूप से डॉक्टर की पर्ची न होने के कारण नहीं हुई थी। यह बच्चों तक संदूषित उत्पाद पहुंचने के कारण हुई। जब डायथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल—वे औद्योगिक रसायन, जो दवाओं में कदापि नहीं होने चाहिए—किसी सिरप में मिला दिए जाएँ, तो यह व्यवस्था-तंत्र की विफलता है, जिसकी ज़िम्मेदारी ऊपर स्तर पर बैठे नियामकों की है। इसमें कच्चे माल की खरीद, परीक्षण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण और बाज़ार से उत्पाद हटाने जैसी प्रक्रियाओं की प्रभावी निगरानी आवश्यक होती है। डॉक्टर की परामर्श पर्ची उपयोग को तो नियंत्रित कर सकती है, लेकिन संदूषित खेप को सुरक्षित नहीं बना सकती।

अन्य देश इस बाबत उपयोगी सबक हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, खांसी और जुकाम की कुछ दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के उपलब्ध हैं, लेकिन नियामक दो साल से कम उम्र के बच्चों में इनके उपयोग पर चेतावनी देते हैं, और निर्माता आमतौर पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपयोग के खिलाफ लेबल पर लिखा होता है। यूनाइटेड किंगडम में, कई खांसी और जुकाम की दवाएं छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं हैं, जबकि छह से बारह वर्ष की आयु के बच्चों में उनका उपयोग स्वास्थ्य कर्मी की देख-रेख में होता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी छोटे बच्चों में इसके उपयोग को हतोत्साहित किया है और लेबल पर बाकायदा चेतावनी छापने को कड़ा कर रखा है। ये देश दुर्घटना अवसर घटाने के लिए केवल डॉक्टर की पर्ची पर निर्भर नहीं हैं। वे आयु प्रतिबंध, चेतावनी लेबल, डाक्टरी परामर्श, विष नियंत्रण प्रणाली, प्रतिकूल घटना पर त्वरित सूचना और निगरानी उपायों का उपयोग करते हैं।

भारत को एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवाइयां न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए, सिवाय कुछ दुर्लभ मामलों में विशेषज्ञ की सलाह पर। इनसे बड़े बच्चों के लिए, मानकीकृत देखभाल की शुरुआत, दिलासा देने, तरल पदार्थ देकर, जरूरत पड़ने पर बुखार नियंत्रण, सेलाइन ड्रॉप्स, एक साल की उम्र के बाद शहद देना और स्पष्ट चेतावनी संकेतों को बूझना, जिन्हें चिकित्सकीय ध्यान की आवश्यकता है, जैसे उपायों से हो सकती है। माता-पिता को यह पता होना चाहिए कि ज्यादातर खांसी एक संक्रमण रोग है, अपने आप ठीक हो जाती है और इसके लिए सिरप की जरूरत नहीं होती।

दूसरा, उत्पादन नियमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। प्रत्येक पी जाने वाली दवा, जिसमें ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटोल जैसे सहायक पदार्थ शामिल होते हैं, उनकी विषाक्तता की अनिवार्य जांच की जानी चाहिए। कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता लाइसेंस धारक हों, और उन पर नजर रखी जानी चाहिए। राज्य औषधि नियामकों को प्रशिक्षित निरीक्षकों, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल रिकॉर्ड और दबाव से मुक्ति की आवश्यकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर केवल अस्थायी निलंबन ही नहीं, बल्कि मुकदमा और लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी होनी चाहिए।

तीसरा, विषाक्ता का पता लगने पर शेष दवा को बाज़ार से तुरंत हटाने वाली प्रणाली होना जरूरी है। एक बार दूषित उत्पाद का संदेह होने पर, सूचना दिनों की बजाय घंटों में प्रसारित होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय डिजिटल दवा रिकॉल प्लेटफॉर्म हो, जोकि बैच नंबर, फार्मेसियों, डॉक्टरों, अस्पतालों और आम जनता से जुड़ा हो, इससे कई जानें बच सकती हैं। हर बोतल पर एक क्यूआर कोड होना चाहिए जिसके माध्यम से माता-पिता निर्माता, बैच नंबर, समाप्ति तिथि और रिकॉल की स्थिति की पुष्टि कर सकें।

चौथा, डॉक्टरों और दवा विक्रेताओं को अपने काम करने के तरीके में बदलाव करना होगा। परामर्श पर्ची में बीमारी की शिनाख्त, उम्र के हिसाब से दवा की मात्रा और कितने समय तक दवा देनी है, यह सब दर्ज हो। खांसी की मिश्रित दवाएं (कॉम्बिनेशन सिरप) का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे नहीं करना चाहिए। दवा विक्रेताओं को बिक्री का रिकॉर्ड रखना चाहिए, तीमारदारों को जानकारी युक्त करना और असुरक्षित मांगों को साफ इंकार कर देना चाहिए। व्यावसायिक संस्थाओं को चाहिए कि आसानी से समझ आने वाली और व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी करें, जिनका पालन व्यस्त क्लीनिक और फार्मेसियों में किया जाना है। आखिर में, समुदायों को भागीदार के तौर पर लिया जाना ज़रूरी है। आंगनवाड़ी कर्मी, 'आशा' कर्मी, स्कूल अध्यापक, बच्चों के डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर और लोकल मीडिया तीन आसान बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं : छोटे बच्चों को खुद से तय करके दवा न दें; पुरानी सिरप पर्ची का दोबारा इस्तेमाल न करें। अगर किसी दवा सेवन के बाद बच्चे को पेशाब कम आए, लगातार उल्टी हो, सुस्ती छाए, सांस तेज़ चले या बीमारी और बढ़ जाए, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पंचायतें और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 'सुरक्षित दवा दिवस' मना सकते हैं, जिनमें परिवार दवाइयों को सुरक्षित तरीके से जांचना, रखना और फेंकना सीख सकें। अधिकारियों को इस गलतफहमी से बचना चाहिए कि सिर्फ़ बिक्री का तौर-तरीका बदलने से सुरक्षा की संपूर्ण शृंखला दुरुस्त हो जाएगी। असली काम एक ऐसा दवा प्रणाली बनाना है जिसमें दवाएं उत्तम गुणवत्ता की हों, परामर्श तार्किक हों, दवा विक्रेता की ज़िम्मेदारी तय हो, नागरिक जानकारी युक्त हों और नियामक किसी बड़ी घटना के होने से पहले ही कदम उठा लें। सवाल यह भी है कि क्या भारत घटना-आधारित उपाय करने से हटकर रोज़मर्रा की दवा-सुरक्षा की ओर बढ़ सकता है।

सूखे की आहट

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कमजोर रहने की चिंताओं के बीच देश के कृषि क्षेत्र के सामने सूखे की चुनौती पैदा होने की आशंका बलवती हुई है। हाल-फिलहाल बारिश में चालीस से छियालीस प्रतिशत की कमी मापी गई है। देश के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दो जुलाई तक मानसून की सक्रियता कम रहने के अनुमान के कारण खरीफ की फसल को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने कम बारिश वाले 315 जिलों में से 111 ऐसे जिलों की पहचान की है, जो सूखे की दृष्टि से ज्यादा जोखिम वाले हो सकते हैं। जो आसन्न संकट की गंभीरता को भी दर्शाता है। यह विडंबना है कि तमाम सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बावजूद आज देश में खेती की मॉनसून की बारिश पर निर्भरता बनी हुई है। यही वजह है कि मॉनसून में देरी या कम बारिश होने का सीधा असर फसल की बुवाई, खाद्यान्न की पैदावार, ग्रामीणों की आय और खाने-पीने की वस्तुओं की महंगाई के रूप में पड़ता है। ऐसे में यदि जुलाई व अगस्त माह के महत्वपूर्ण समय में बारिश सामान्य से कम होती है तो इसके परिणाम चिंता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। केंद्र सरकार राज्य और जिले स्तर पर आपातकालीन योजनाएं तैयार कर रही है। सरकार सूखे में भी बेहतर उत्पादन कर सकने वाली फसलों को बढ़ावा देने के साथ ही जल संरक्षण पर जोर दे रही है। साथ ही कोशिश है कि किसानों के लिये बीज-उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। देश में दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि ये फसलें कम पानी में भी सामान्य उत्पादन दे सकती हैं। सुखद ही है कि अल नीनो मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय किया गया ताकि कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिये रियल-टाइम सलाह किसानों को देकर सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके। निश्चित रूप से पूरी तैयारी के साथ सूखे से मुकाबले का मतलब है कि हमने आधी लड़ाई जीत ली है। आज जरूरत इस बात की है कि सूखे की आशंका के बीच जल संकट से मुकाबले के लिये एक प्रभावी समग्र नीति बने। समय-समय पर इन नीतियों में सुधार किया जाए। जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन संकट के दौर में मानसून के व्यवहार में अनिश्चितता के बीच खेती की बारिश पर निर्भरता को कम करने के लिये व्यापक रणनीति तैयार की जाए। इसके लिये जरूरी है कि सूक्ष्म-सिंचाई सुविधा का विस्तार, जल निकायों के पुनरुद्धार, भूजल प्रबंधन को बेहतर बनाने और जलवायु के अनुरूप खेती को बढ़ावा देने के प्रयास हों। हम मौसम के बदलते मिजाज पर हर बार प्रतिक्रिया देने के बजाय दीर्घकालिक राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें। हमें किसानों को आर्थिक संकट से उबारने को अपनी वरीयता सूची में शामिल करना चाहिए। विडंबना यह है कि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की रक्षा के लिये बीमा कवरेज अभी भी ज्यादा प्रभावी नहीं है। किसानों को फसलों को क्षति पहुंचने पर मुआवजा लेने के बारे में व्यावहारिक जानकारी अक्सर कम ही होती है। वैसे तो देश में अनाज का पर्याप्त भंडारण है और आपातकालीन व्यवस्था के चलते देश की खाद्य सुरक्षा को तुरंत कोई बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन हमें लाखों किसानों का जीविका संरक्षण भी प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश में मौसम के मिजाज में होने वाला बदलाव अब कभी-कभार की बाधा नहीं रही, बल्कि बार-बार होने वाली सच्चाई बन गया है। मानसून के व्यवहार में लगातार अनिश्चितता को देखते हुए देश के नीति-निर्माताओं को खेती संरक्षण के लिये एक ऐसा तंत्र बनाने की जरूरत है, जो मौसम के बदलावों का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सके। तभी हम भविष्य की अनिश्चितताओं का सही तरीके से सामना कर सकेंगे। साथ ही हमें देश में पानी के सदुपयोग की दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। देश में जलाशयों के जल का किफायती उपयोग हो। निस्संदेह, कम बारिश से केवल किसान व ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही प्रभावित नहीं होती है, सूखे में खाद्यान्न की उत्पादकता घटने पर अनाज महंगा होने से आम आदमी का जीवन भी बाधित होता है। जिससे किसान की ही नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

जान बचाने वाले एयरबैग ने ले ली जान!

खड़ी कार में युवक के साथ भयानक हादसा, मौत

सन संवाददाता

मीरा रोड ।मीरा-भायंदर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। कार में एयरबैग अचानक खुलने से 25 साल के युवक की मौत हो गई है। मरने वाले युवक का नाम मोहित सोनी (25) है और यह घटना शहर के प्लेजेंट पार्क इलाके में हुई। इस मामले से हर जगह हंगामा हो रहा है। इस मामले की हर जगह चर्चा हो रही है क्योंकि जान बचाने वाले एयरबैग ने उसकी जान ले ली।

इस बारे में पूरी जानकारी यह है कि मोहित सोनी जब गाड़ी चला रहा था, तभी कार में एयरबैग अचानक खुल गया। इस घटना में मोहित सोनी की गर्दन में गंभीर चोट आई। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा किया, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए टेम्बा अस्पताल भेज दिया गया है।

पुलिस मोहित सोनी की मौत के सही कारण की जांच कर रही है, कार का एयरबैग क्यों खुला और क्या इस घटना में कोई और टेक्निकल वजह है। मेडिकल रिपोर्ट, टेक्निकल जांच और दूसरे सबूतों के आधार पर आगे की जांच की जा रही है, और ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार है। इस घटना से इलाके में हलचल मची हुई है।

कार के एयरबैग में मुख्य रूप से नायलॉन या पॉलिएस्टर से बना एक हल्का कवर और सोडियम एज़ाइड नाम का एक केमिकल होता है। एक्सीडेंट के दौरान, यह केमिकल केमिकली रिएक्ट करके नाइट्रोजन गैस बनाता है और एयरबैग कुछ ही सेकंड में फूल जाता है। एयरबैग नायलॉन या पॉलिएस्टर धागे से बना होता है और इसके अंदर सिलिकॉन कोटिंग होती है। जब एक्सीडेंट होता है, तो सेंसर सिस्टम एक सिग्नल देता है और एयरबैग में मौजूद सोडियम एज़ाइड और पोटेशियम नाइट्रेट जल जाते हैं। इससे नाइट्रोजन गैस का धमाका होता है और एयरबैग कुछ ही सेकंड में फूल जाता है।

फ्लैट में अवैध कमर्शियल किचन...सैकड़ों परिवार की जान दांव पर!.. देसी जुगाड़ या जानलेवा खिलवाड़?

सन संवाददाता

भायंदर-पूर्व स्थित न्यू श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग अपनी इमारत के एक तल मंजिला फ्लैट में चल रहे वाणिज्यिक (कमर्शियल) रसोई के कारण खतरे के साये में जीने को मजबूर हैं। सोसाइटी के सदस्यों का आरोप है कि इमारत की एक दुकान में चल रहे होटल के मालिक ने आवासीय फ्लैट में कमर्शियल रसोई स्थापित की है, जिसमें भारी मात्रा में व्यावसायिक गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य उपकरणों के उपयोग के अलावा जमीनी स्तर पर चिमनी का एग्जॉस्ट सिस्टम स्थापित किया है। रिहायशी इमारत में बने इस अवैध किचन से यहां रहनेवाले सैकड़ों परिवारों की जान पर बन आई है।

इमारत में रहने वाले अनिल शेलार के अनुसार, गैस सिलेंडर और चिमनी में तेल का जमाव होने से अचानक आग लगने की संभावना कई गुना बढ़ गई है, जिससे पूरी रिहायशी इमारत खतरे में पड़ सकती है।

फायर ब्रिगेड ने झाड़ा पल्ला

अग्निशमन दल के अधिकारियों का कहना है कि सोसाइटी द्वारा होटल मालिक के खिलाफ दायर याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया है और मामला उच्च न्यायालय में अब तक विचाराधीन है इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं।

क्या कहता है सुरक्षा मानक?

सुरक्षा मानकों के अनुसार, रिहायशी इमारत में इस प्रकार का व्यावसायिक किचन चलाना नियमों के खिलाफ है और चिमनी एग्जॉस्ट की स्थापना (इंस्टॉलेशन) छत से कम से कम 3 फुट की ऊंचाई पर होनी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित होता कि धुआं और गंध आसपास के क्षेत्रों में न फैले।

शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं

शेलार ने बताया, 'मीरा-भायंदर महानगरपालिका के स्थानीय प्रभाग कार्यालय और अग्निशमन दल को कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम होटल के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस कमर्शियल रसोई को तुरंत बंद किया जाए।'

जनता के 515 करोड़ रुपए पानी में... भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ीं एमबीएमसी की सड़कें!.. नवनिर्मित सड़क पर पड़ी दरारें

सन संवाददाता

मीरारोड : मीरा-भायंदर महानगरपालिका ने पिछले साल शहर की आंतरिक और मुख्य सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ५१५ करोड़ रुपये की सीसी रोड योजना शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और मनपा चुनाव में २४ घंटे पानी और गड्ढा मुक्त सीसी सड़कें अपने चुनावी वादे बनाए थे। लेकिन जमीनी हकीकत वादों के उलट है। न २४ घंटे पानी मिल रहा है, न ही अच्छी सड़कें। मीरा-भायंदर के कई इलाकों में सीसी सड़क का काम कछुए की चाल से चल रहा है। कुछ ठेकेदारों के घटिया निर्माण और अधिकारियों की गुणवत्ता पर अनदेखी से नागरिकों का टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। कहीं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तो

कहीं मीरा-भायंदर मनपा के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की देखरेख में काम चल रहा है।

मानकों को किया दरकिनार

टिकाऊ, पर्यावरण-अनुकूल सीसी सड़कों के लिए सबग्रेड तैयारी, कॉम्पैक्शन, सही मिक्सिंग, स्टील फोर्टिफिकेशन, शटरिंग, क्योरिंग जैसे कई तकनीकी चरण जरूरी हैं। लेकिन ज्यादातर साइटों पर खर्च बचाने के उद्देश्य से ठेकेदारों द्वारा कथित रूप से घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने, गुणवत्ता से समझौता करने और तकनीकी मानकों की अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं।

नवनिर्मित सड़क पर पड़ीं दरारें

आलम ये है कि मनपा आयुक्त के मीरा रोड स्थित कनकिया इलाके में सरकारी बंगले की तरफ जाने वाली हाल ही में निर्माण की गई सीसी सड़क पर ही अब दरार पड़ने लगी हैं। इन अनियमितताओं के खिलाफ प्रशासन में बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारी व इंजीनियर कार्रवाई करने से बच रहे हैं।

मिलीभगत से सरकारी दावे फेल

आरोप है कि ज्यादातर ठेकेदारों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। इसी कारण वे खुलेआम घटिया काम करके बच निकलते हैं। इसी भ्रष्टाचार के कारण सीसी सड़कों के बल पर शहर को गड्ढा मुक्त करने की सरकार की योजना पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है।

फर्जी आरटीओ ई-चालान के नाम पर एक और साइबर ठगी

सन संवाददाता

भाईंदर : मोबाइल संदेश के माध्यम से परिवहन विभाग का फर्जी ई-चालान लिंक भेजकर ठगी करने का एक और मामला सामने आया है। भायंदर-पश्चिम में रहनेवाली एक ४६ वर्षीय महिला को अपराधियों ने फर्जी आरटीओ ई-चालान का लिंक भेजकर ९६ हजार का चूना लगा दिया। भायंदर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में महिला ने बताया कि उन्हें उनके व्हॉट्सऐप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से आरटीओ ई-चालान संबंधित संदेहास्पद लिंक से जुड़ा हुआ संदेश प्राप्त हुआ। लिंक को क्लिक करने के बाद उनके मोबाइल पर आरटीओ चालान नामक ऐप की फाइल डाउनलोड हो गई। ठगों ने रिमोट एक्सेस के जरिए महिला का मोबाइल डाटा हासिल किया और उसका दुरुपयोग कर डेबिट कार्ड के माध्यम से ९६,२५० रुपयों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ठगों ने शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर से कई और लोगों को इसी प्रकार के फर्जी संदेश और लिंक भेजे। महिला की शिकायत मिलने पर भायंदर पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ भारतीय

न्याय संहिता और आईटी एक्ट, २००० की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी है। परिवहन विभाग और साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि यदि उनको किसी ई-चालान मैसेज के साथ कोई लिंक मिलता है, तो उस पर क्लिक करने के गलती न करें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पैसे का व्यवहार से बचें।

स्कूली बच्चों की जान पर आया खतरा, डंपर की टक्कर से भाईंदर में मचा हड़कंप,भारी वाहनों की लापरवाही पर फिर उठे सवाल

मुंबई से सटे मीरा-भाईंदर इलाके में मंगलवार शाम एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। भाईंदर पूर्व के पी.के. रोड पर एक तेज रफ्तार और बेकाबू डंपर ने स्कूली बच्चों से भरी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूल बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल बस अपने तय रास्ते पर बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे एक डंपर ने नियंत्रण खो दिया और बस को पीछे से टक्कर मार दी।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से टक्कर का असर गंभीर दिखाई दिया। हादसे के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

बच्चों के आगे बैठे होने से टला बड़ा खतरा

हादसे के समय बस में बच्चों की संख्या कम थी और सभी बच्चे बस के अगले हिस्से में बैठे हुए थे। यही वजह रही कि टक्कर का असर बच्चों तक नहीं पहुंचा और कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। घटना की

जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। बच्चों को सुरक्षित देखकर अभिभावकों ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने उनकी चिंता जरूर बढ़ा दी है।

भारी वाहनों की लापरवाही पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद एक बार फिर मीरा-भाईंदर में भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में डंपर और सीमेंट मिक्सर जैसे भारी वाहन अक्सर तेज गति से चलते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है।नागरिकों ने पुलिस और आरटीओ से मांग की है कि भारी वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जाए और भीड़भाड़ वाले समय में उनके आवागमन पर नियंत्रण लगाया जाए।

सड़क सुरक्षा के लिए जरूरी हैं कड़े कदम

भाईंदर की यह घटना साफ तौर पर बताती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कितना जरूरी है। इस बार तो बच्चों की जान बच गई, लेकिन अगर समय रहते तेज रफ्तार और लापरवाही करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है।प्रशासन के लिए यह घटना एक चेतावनी है कि स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

सनातन धर्म की वैश्विक ज्योति जलाएं ज़फराबाद और जौनपुर के पुराने इतिहास की खोज में आयोजित कार्यक्रम

मीरा रोड, ठाणे (मुंबई) स्थित श्री आर.के. तिवारी कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में आयोजित 'पुरवाई–2026' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होकर हजारों की संख्या में उपस्थित पत्रकार, समाजसेवी एवं प्रबुद्धजन को संबोधित किया। यह आयोजन सनातन धर्म की वैश्विक ज्योति को प्रज्ज्वलित करने, जफराबाद एवं जौनपुर के पौराणिक इतिहास के शोध तथा राजकुमारी अंगिता के अद्वितीय उत्सर्ग की स्मृतियों को समर्पित रहा। इस अवसर पर हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सनातन परंपरा एवं इतिहास के संरक्षण तथा भावी पीढ़ियों तक उसके गौरवपूर्ण प्रसार की आवश्यकता पर बल देते हुए संबोधन दिया। इस अवसर पर डॉ० दिनेश शर्मा पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद श्री संजय निरुपम , मा. विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीमती विद्या ठाकुर , मा. विधायक श्री नरेंद्र मेहता , कार्यक्रम आयोजक श्री ओम प्रकाश सिंह , कार्यक्रम अध्यक्ष राहुल ग्रुप के अध्यक्ष श्री लल्लन तिवारी , पूर्व उपाध्यक्ष मुंबई भाजपा श्री आर यू सिंह , पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी पार्षद दल मुंबई महानगर पालिका श्री विनोद मिश्रा , पूर्व नगरसेवक श्री कमलेश यादव , श्री छांगुर चौहान , श्री रमाकांत गुप्ता , श्री राजेश सिंह , श्रीमती सुमित्रा सुमन , श्री राजकुमार मिश्रा एडवोकेट, नगरसेविका श्रीमती स्नेहा पांडे एवं एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

महापौर की शहर में अवैध निर्माणों से मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति फेल दिख रही हैं

सन संवाददाता

मीरा-भायंदर । मीरा भाईंदर महानगरपालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 6 के कार्यक्षेत्र में अवैध निर्माणों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। अवैध चालों से लेकर बड़े-बड़े व्यावसायिक शेड का निर्माण धड़ल्ले से जारी है । आरोप है कि प्रभाग अधिकारी इन अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाए उन्हें मूक संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मनपा आयुक्त को गुमराह करने के लिए अवैध निर्माण पर नाम मात्र कार्रवाई दिखाई जाती है और यह दावा किया जाता है कि क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण नहीं हो रहा है ।

सूत्रों के अनुसार, यहाँ प्रति सप्ताह एक-दो कमरों का निर्माण किया जा रहा है। आरोप है कि प्रत्येक रूम के पीछे मनपा अधिकारी 70-80 हजार रुपयों की मोटी रकम वसूल कर रहे हैं, जिसकी आड़ में धीरे-धीरे एक बड़ी चाल खड़ी की जा रही है । कई अवैध निर्माण के खिलाफ मनपा में शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रभाग अधिकारी भरत सोनारे ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। प्रभाग अधिकारी की इसी ढीली कार्यप्रणाली के चलते अवैध निर्माणकर्ता को कोर्ट से स्थगनादेश (स्टे) लाने का पूरा मौका मिल गया। महापौर डिंपल मेहता द्वारा शहर को अवैध निर्माणों से मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन प्रभाग अधिकारी भरत सोनारे जैसे अधिकारी खुलेआम इस नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं।

याद रहे कि, महापौर ने पूर्व में यह आधिकारिक घोषणा की थी कि यदि कोई भी अधिकारी अवैध निर्माणों को संरक्षण देते हुए या बढावा देते हुए पाया जाता है, तो उसे निलंबित करने का प्रस्ताव महानगरपालिका की आमसभा में लाया जाएगा। आगामी आमसभा की बैठक में महापौर अपनी घोषणा के अनुरूप प्रभाग अधिकारी भरत सोनारे के निलंबन का प्रस्ताव पटल पर रखते हैं, या फिर यह जीरो टॉलरेंस की नीति महज एक कागजी दांव बनकर रह जाएगी। पूरे शहर की निगाहें अब आने वाली आमसभा के फैसले पर रहेगी !

मीरा-भायंदर में रूलिंग पार्टी ने हॉकर कॉन्ट्रैक्टर को प्रोटेक्शन दिया है?

चार महीने में पुराना रेजोल्यूशन भूल गए; रेट कम करने और कॉन्ट्रैक्टर को एक और मौका देने का रेजोल्यूशन

सन संवाददाता

भायंदरः मीरा-भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉकर फीस वसूलने वाले कॉन्ट्रैक्टर के रेट कम करने और उन्हें एक और मौका देने के प्रस्ताव को रूलिंग पार्टी ने पास कर दिया है। इससे चार महीने पहले पास हुआ प्रस्ताव गड़बड़ा गया है और विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हर साल करोड़ों रुपये का फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है।

फेरीवालों से नगर निगम के ज़रिए फ़ीस ली जाती है। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर रखा गया है और उसी के ज़रिए यह फ़ीस वसूली जाती है। पहले दो स्क्वेयर मीटर की जगह के लिए 59 रुपये और दो स्क्वेयर मीटर से ज़्यादा की जगह के लिए 89 रुपये फ़ीस ली जाती थी। लेकिन, अगस्त 2023 में नगर निगम प्रशासन ने रेवेन्यू बढ़ाने के मकसद से इस फ़ीस में करीब 20 परसेंट की बढ़ोतरी कर दी। इसके मुताबिक, दो स्क्वेयर मीटर की जगह के लिए 89 रुपये और दो स्क्वेयर मीटर से ज़्यादा की जगह के लिए 118 रुपये (GST मिलाकर) फ़ीस ली जाने लगी। इस बढ़ोतरी से नगर निगम की इनकम में सालाना करीब दो करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन, फेरीवाले लगातार शिकायत कर रहे थे कि बढ़ी हुई फ़ीस उनकी पहुंच से बाहर है। उन्होंने प्रशासन से मांग की थी कि फ़ीस कम की जाए। तदनुसार, 16 फरवरी, 2026 को आम सभा में सत्ता पक्ष की ओर से शुल्क कम करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस पर दो वर्ग मीटर तक की जगह के लिए 74 रुपये (जीएसटी सहित) और दो वर्ग मीटर से अधिक की जगह के लिए 105 रुपये शुल्क लेने का प्रस्ताव पारित किया गया।

साथ ही, रूलिंग पार्टी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को 1 अप्रैल, 2026 से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का निर्देश दिया गया था, यह आरोप लगाते हुए कि कॉन्ट्रैक्टर नियमों का उल्लंघन करके पैसे वसूल रहा है। हालांकि, सोमवार को हुई जनरल असेंबली में हॉकर फीस वसूलने पर फिर से विचार करने के लिए एक प्रस्ताव फिर से पेश किया गया। इस कॉन्ट्रैक्टर का टर्म 2027 तक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अगले टेंडर प्रोसेस में फाइनेंशियल नुकसान की संभावना भी जताई थी। इसके आधार पर, चूंकि कॉन्ट्रैक्टर जनरल असेंबली द्वारा तय रेट पर काम करने के लिए तैयार है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कोई नुकसान नहीं होगा, और इसी वजह से रूलिंग पार्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को टर्म खत्म होने तक काम करने देने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी।

मीरा-भायंदर शहर में असल में 18,000 से ज़्यादा हॉकर्स हैं। 2023 में एडमिनिस्ट्रेशन के कराए गए हॉकर सर्वे में 7,231 हॉकर्स मिले थे, जबकि करीब 3,000 हॉकर्स को अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद के तीन सालों में हॉकर्स की संख्या में तीन से चार हज़ार और बढ़ोतरी हुई है। अभी टेंडर के हिसाब से हर महीने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1 करोड़ 72 लाख रुपये जमा हो रहे हैं। लेकिन, असल में अगर सिर्फ़ 8,000 हॉकर्स से कम रेट पर फीस ली जाए तो यह आंकड़ा 3 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाता है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और कॉन्ट्रैक्टर को सीधा फ़ायदा हो रहा है। कांग्रेस ग्रुप लीडर जय ठाकुर ने मांग की है कि हॉकर फीस से जमा होने वाली रकम सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में जमा की जाए। कांग्रेस कॉर्पोरेटर सीन लियो कोलसो ने यह प्रस्ताव भी रखा कि एडमिनिस्ट्रेशन को यह टेंडर कैंसिल कर देना चाहिए और नया कॉन्ट्रैक्टर रखने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए।

पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल साइबर ठगी मामले में एक साल बाद दर्ज की गई FIR

सन संवाददाता

भाईंदर । फर्जी ई-चालान लिंक के जरिए महिला से 96,250 रुपये की साइबर ठगी के मामले में घटना के लगभग एक साल बाद एफआईआर दर्ज होने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। पीड़िता मीरा-भाईंदर महानगरपालिका आयुक्त के निजी सहायक (पीए) महेश भोसले की पत्नी हैं। आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और एफआईआर दर्ज करने में अनावश्यक देरी की।

जानकारी के अनुसार, भाईंदर पश्चिम के गीतानगर निवासी कल्पना महेश भोसले को जुलाई 2025 में आरटीओ के ई-चालान से संबंधित एक लिंक भेजा गया था। लिंक खोलने के बाद साइबर ठगों ने उनके बैंक खाते से 96,250 रुपये निकाल लिए। ठगी का पता चलने पर उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी। हालांकि, पीड़ित परिवार का आरोप है कि मामले की जानकारी तत्काल देने के बावजूद पुलिस ने न तो समय पर अपराध दर्ज किया और न ही जांच में अपेक्षित तत्परता दिखाई ।

बच्चों की डिजिटल सुरक्षा...सरकार बैठकों, अध्ययन में उलझी... सोशल मीडिया रिपोर्ट छह महीने और टली

मुंबई : बच्चों और किशोरों पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गठित महाराष्ट्र सरकार की कार्यबल समिति को छह महीने का अतिरिक्त समय दिए जाने से सरकार की गंभीरता पर सवाल उठने लगे हैं। समिति को मूल रूप से तीन महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब नीति निर्माण और आगे टल गया है।

राज्य में १८ वर्ष से कम आयु के लगभग चार करोड़ बच्चे हैं। समिति को सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग के मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक प्रभाव, साइबर बुलिंग, डिजिटल विज्ञापन, व्यवहार में बदलाव और सामाजिक कौशल पर असर का अध्ययन करना है। आयु सत्यापन, स्क्रीन टाइम सीमा और स्कूलों में डिजिटल सुरक्षा शिक्षा जैसे उपाय भी इसके दायरे में हैं। सवाल यह है कि जब समस्या पहले से पहचानी जा चुकी है, तब सरकार रिपोर्ट के इंतजार में हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी है?

सरकार रिपोर्ट आने तक भी अंतरिम दिशा-निर्देश जारी कर सकती थी। स्कूलों में स्क्रीन टाइम नीति, साइबर बुलिंग शिकायत तंत्र, अभिभावक प्रशिक्षण, आयु-उपयुक्त कंटेंट नियंत्रण और सोशल मीडिया कंपनियों से जवाबदेही तुरंत तय की जा सकती है। समिति का गठन तभी सार्थक होगा, जब उसकी सिफारिशें समयबद्ध हों और उन पर कार्रवाई हो। अन्यथा बच्चों की डिजिटल सुरक्षा केवल बैठकों, अध्ययन और बढ़ाई गई समय सीमाओं में उलझकर रह जाएगी।

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com